राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प. 3(212)नविवि/3/2011 जयपुर, दिनांक 15 MAY 2020

आदेश

राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974, भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-ख तथा 90-क के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के तहत स्थानीय निकायों द्वारा लीजडीड/पट्टा जारी किये जाते है, उनमें उपरोक्त नियमों के तहत भवन निर्माण निर्धारित समयावधि में किये जाने की शर्त अंकित की जाती है। इसी प्रकार भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 में भवन निर्माण की समय सीमा निधारित की जाती है और भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र में भवन निर्माण की समय सीमा निर्धारित की जाती है।

कोविड-19 के मद्देनजर सक्षम स्तर से लिये गये निर्णयानुसार उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत जारी किये गये पट्टा विलेख/लीज-डीड/भू-उपयोग परिवर्तन आदेश एवं भवन निर्माण अनुज्ञा में निर्धारित की गई भवन निर्माण की समयावधि को 6 माह बढाया जाता है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा, किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा व जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जावेगी।

आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपिः-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयुपर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राज0 जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

Scanned with CamScanner